संख्या 21034/66/2009-रा0भा0 (प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल,2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को देय मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन के संबंध में ।

****

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 14034/29/99-रा.भा.(प्रशि0) दिनांक 14.09.2000 का हवाला देते हुए अधोहस्ताक्षरी को हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नियुक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक अनुदेशकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय (पारिश्रमिक) देने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निर्देश हुआ है:-

अंशकालिक हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशक

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 14.09.2000 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	हिंदी टंकण अनुदेशक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक)	45/- प्रतिमाह	हिंदी टंकण अनुदेशक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) --	--
	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो	450/- प्रतिमाह	कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी	900/- प्रतिमाह
	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	750/- प्रतिमाह	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	1500/- प्रतिमाह
2	हिंदी आशुलिपि अनुदेशक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक)	90/- प्रतिमाह	हिंदी आशुलिपि अनुदेशक (केवल सरकारी सेवकों के लिए) --	--
	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो	750/- प्रतिमाह	कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी	1500/- प्रतिमाह
	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	1050/- प्रतिमाह	यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	2100/- प्रतिमाह

नोट:- पूर्वोतर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है। एसी स्थिति में इन केंद्रों पर कार्यरत अंशकालिक हिंदी टंकण अनुदेशक को 900/- एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशकों को 1500/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

2. इस संबंध में अन्य शर्तें उसी प्रकार लागू रहेगी जैसी कि इस विभाग के दिनांक 07 सितंबर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12013/56/74-एच/1/रा.भा.(डी) में उल्लेख किया गया है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है ।

5. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी ।

(सूरज भान)
उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार ।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हटमैंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी ।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाईल ।

D:\ P&C-fresh\training sec.doc